भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4748**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का प्रभाव

4748. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराया गया है;
(ख) क्या सरकार ने देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि फसल/भूमि को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया है अथवा कोई आंकड़ा/सूचना एकत्र की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है -

<आंकड़े एलएमटी में>

वित्तीय वर्ष 2023-24			
उत्पाद	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**बिक्री**
यूरिया	24.28	29.23	25.39
डीएपी	8.95	9.80	9.37
एमओपी	0.23	0.20	0.15
एनपीकेएस	1.11	1.40	1.08

< आंकड़े एलएमटी में >

वित्तीय वर्ष 2022-23			
उत्पाद	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**बिक्री**
यूरिया	21.50	27.91	25.17
डीएपी	7.40	9.70	8.47
एमओपी	0.30	0.18	0.14
एनपीकेएस	0.95	0.85	0.72

< आंकड़े एलएमटी में >

वित्तीय वर्ष 2021-22			
उत्पाद	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**बिक्री**
यूरिया	21.00	25.43	22.59
डीएपी	7.70	6.59	6.10
एमओपी	0.30	0.31	0.24
एनपीकेएस	0.63	1.23	1.20

टिप्पणी : सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री

(ख) एवं (ग): जी हां। आईसीएआर द्वारा पांच दशकों से निर्धारित स्थलों पर 'दीर्घावधि उर्वरक परीक्षणों' पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत की गई जांचों से पता चला है कि केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा जिससे अन्य प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आई। एनपीके और अन्य उर्वरकों की अनुशंसित खुराक के साथ भी, सूक्ष्म और द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी वर्षों से उपज की कमी का कारक बनी हुई है। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक/अति प्रयोग के कारण विशेष रूप से हल्की बनावट वाली मृदा में भूजल में 10 मिलीग्राम एनओ3-एन/एल की अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट संदूषण की भी संभावना है, जिससे पीने के लिए उपयोग किए जाने पर मनुष्य/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए 4आर उपागम अर्थात राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मोड और राइट टाइप के उर्वरक के साथ पादप पोषकतत्वों के इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक आदि) के मिले-जुले उपयोग के जरिए मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश भी करती है। इसके अलावा, फलीदार फसलों को उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आवश्यकता अनुसार सभी पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

(घ) एवं (ड.): भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सिफारिशों पर उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा का समर्थन कर रही है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम के तहत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) का उपयोग मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और ऑर्गेनिक खाद एवं जैव-उर्वरकों के संयोजन से द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एसएचसी उनकी मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश करते हैं।

सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गैनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नार्थ इस्टर्न रिजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

पीकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, पीजीएस (भागीदारी गारंटी प्रणाली), प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, ऑन फार्म/ऑफ फार्म ऑर्गेनिक आदानों के लिए डीबीटी के माध्यम से किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, ऑर्गेनिक आदानों के लिए किसानों को सहायता देने, गुणवत्तापूर्ण बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन हेतु 3 वर्ष के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को 3 वर्ष के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता (किसानों को ऑन फार्म/ऑफ फार्म ऑर्गेनिक आदानों के लिए डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये) प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित, प्राकृतिक खेती पर स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) बीजामृत, जीवामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र आदि जैसे ऑन-फार्म उत्पादित प्राकृतिक आदानों के उपयोग, बहु-फसली प्रणालियों, बायोमास मल्चिंग आदि जैसी पद्धतियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को अपनाने पर केंद्रित है, जिससे बाह्य रूप से खरीदे गए रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम होती है और खेती के लिए आदान लागत कम हो जाती है। किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि आदानों की आसानी से उपलब्धता के लिए, मिशन के तहत 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

******